SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY & CRIMINAL JUSTICE
(Established Under State Legislative Assembly Act of Govt. of Rajasthan)
Daijer, Mathania Road, Jodhpur (Raj)

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

67/C

Ref: F.2 (1)BOM/06/2014-15/ 1234-49 **date:** 31/7/15

To,

1. **Shri M.L. Kumawat, Retd. IPS, Vice-Chancellor, SPUP, Jodhpur**
2. **Shri Madan Rathore, Hon'ble MLA, Sumerpur**
3. **Shri Kesa Ram Choudhary, Hon'ble MLA, Marwar Junction**
4. **Shri Ratan Lahoti, IAS, Divisional Commissioner, (Representative) ACS, Higher Education, Rajasthan, Jaipur and Principal Secretary, Finance Deptt. , Rajasthan Jaipur**
5. **Prof. Poonam Saxena, Vice Chancellor, National Law University, Jodhpur**
6. **Prof. C.V.R. Murty, Director, IIT, Jodhpur**
7. **Dr. B.L. Choudhary, Former Vice-Chancellor, MLSU, Udaipur**
8. **Dr. Bhupendra Singh, IPS, Pro Vice-Chancellor, SPUP, Jodhpur**
9. **Shri B.L. Soni, IPS, Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur**
10. **Shri D.S. Dinkar, IPS (Nominee of Director General of Police)**
11. **Dr. Anoop Shrivastav, Joint Director, (Nominee of Principal Secretary, Higher Education)**
12. **Maj Gen (Retd.) H.S. Mangat**
13. **Shri A.N. Roy, IPS (Retd.)**
14. **Smt. K.B. Vandana, IPS, Addl. Director, SPUP, Jodhpur**
15. **Maj Ratan Lal Mishra, Retd. Principal (Govt. Nominee)**
16. **Registrar, SPUP, Jodhpur**

Subject: Minutes of the 6th Meeting of Board of Management held on 11.06.2015.

Sir/Madam,

In reference to the subject cited above, please find herewith a copy of the minutes of the 6th Meeting of the Board of Management of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur held on **11th June 2015.**

You are kindly requested to acknowledge the minutes of the meeting.

Enclos: As above

Registrar

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

66/C

क्रमांकः एफ.2(1)एसपीयूपी/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ दिनांकः

कार्यवाही विवरण

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की षष्टम् बैठक, जो दिनांक **11** जून **2015** को दोपहर **2.00** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के दईज़र स्थित परिसर में विश्वविद्यालय के सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए-

1. श्री एम.एल. कुमावत, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री मदन राठौड़, माननीय विधायक, सुमेरपुर
3. श्री रतन लाहोटी, सम्भागीय आयुक्त एवं प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) तथा प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान
4. श्री डी.एस. दिनकर, आईपीएस, प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
5. डॉ. अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान
6. श्री भूपेन्द्र सिंह, आईपीएस, प्रति-कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर
7. श्रीमती पूनम सक्सेना, माननीया कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. श्री बी.एल. सोनी, आईपीएस, निदेशक; राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
9. मेज़र जनरल श्री एच.एस. मंगत, सेवानिवृत्त मेज़र जनरल
10. श्री रतनलाल मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य
11. श्रीमती के.बी. वन्दना, आईपीएस एवं अतिरिक्त निदेशक, एसपीयूपी, जोधपुर
12. श्री श्यामसिंह राजपुरोहित, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए-

1. श्री केसाराम चौधरी, माननीय विधायक, मारवाड़ जंक्शन, पाली
2. प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
3. श्री बी.एल. चौधरी, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
4. श्री ए.एन. रॉय, सेवानिवृत्त आईपीएस एवं भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्य महानुभावों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्षपर्यन्त संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

1. **बिन्दु संख्या- 6/1-** विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की पञ्चम बैठक दिनांक **11** सितम्बर **2014** के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

   निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

2. **बिन्दु संख्या- 6/2-** विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक **11** सितम्बर **2014** के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण।

   निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक **11** सितम्बर **2014** के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना-प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. **बिन्दु संख्या- 6/3-** विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय कार्यालय, प्रति-कुलपति महोदय कार्यालय एवं कुलसचिव कार्यालय में पधारने वाले अतिथियों के जल-पान हेतु व्यय की जानी वाली राशि का निर्धारण।

   निर्णय – विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय कार्यालय, प्रति-कुलपति महोदय कार्यालय एवं कुलसचिव कार्यालय में पधारने वाले अतिथियों के जल-पान व्यवस्था हेतु अधिकतम प्रतिमाह क्रमशः राशि रुपये **5000/-**, राशि रुपये **3000/-** एवं राशि रुपये **2000/-** व्यय किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई एवं विशेष परिस्थितियों में उक्त राशि से अधिक व्यय होने पर, प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

4. **बिन्दु संख्या- 6/4-** राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेंण्डबुक में उल्लेखित नियमों के अनुसार एसपीयूपी, जोधपुर में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि एक वर्ष निर्धारित किये जाने के प्रकरण पर विचार।

   निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि एक वर्ष निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक में आर्डिनेन्स-**357** में उल्लेखित नियमानुसार, अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा प्रकट की गई।

5. बिन्दु संख्या- **6/5**- विश्वविद्यालय के बोर्ड/परिषद्/समितियों के सदस्यों, अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्तरंग/बाह्य परीक्षकों हेतु दिये जाने वाले वाहन भत्ते की राशि निर्धारित किये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय - प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय के बोर्ड/परिषद्/समितियों के सदस्यों, अतिथि व्याख्याताओं एवं बाह्य परीक्षकों को, विश्वविद्यालय के जोधपुर शहर से **20** किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण, विश्वविद्यालय कार्य से जोधपुर शहर से आवागमन करने के लिए **250/-** रुपये प्रतिदिन का आवागमन-भत्ता दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

6. बिन्दु संख्या- **6/6**- विश्वविद्यालय अधिनियम, **2012** की धारा-**11-1(a)** के अन्तर्गत एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।

निर्णय - सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय अधिनियम, **2012** की धारा-**11-1(a)** में अंकित प्रावधानानुसार, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, कुलपति पद पर चयन हेतु गठित समिति में, प्रबन्ध बोर्ड की ओर से, श्री देवेन्द्र सिंह, पूर्व महानिदेशक राज. पुलिस को सर्वसम्मति से सदस्य मनोनीत किया गया।

7. बिन्दु संख्या- **6/7**- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक **15.01.2015** एवं दिनांक **10.06.2015** के कार्यवाही विवरण पर विचार।

निर्णय - प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक **15.01.2015** एवं **10.06.2015** के कार्यवाही विवरणों का, सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा **LLM/M.A. in Criminal Law** पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया, दिनांक **15** जुलाई **2015** तक पूर्ण कर लिये जाने की अनुशंसा की गई।

8. बिन्दु संख्या- **6/8**- विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति महोदय का मुख्यालय, जयपुर स्थानान्तरित किये जाने की सूचना।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड को जानकारी दी गई कि मार्च **2015** में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा काउन्टर टैरेरिज्म विषय पर आयोजित अंतराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जयपुर में किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार की व्यवस्थाओं, पुलिस एवं अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करने एवं सेमिनार के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन हेतु प्रति-कुलपति का मुख्यालय, जयपुर स्थानान्तरित किया गया था।

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

63/C

निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति महोदय का मुख्यालय, जयपुर स्थानान्तरित किये जाने की पुष्टि की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केन्द्रों :- **1**. सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एवं **2**. सेन्टर फॉर रोड सेफ्टी की गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा विश्वविद्यालय एवं अध्ययनरत् छात्रों को राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों जैसे गृह विभाग, राजस्थान पुलिस अकादमी, पुलिस विभाग, कारागार विभाग एवं अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण/शैक्षिक भ्रमण आदि के लिए आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही हेतु इस व्यवस्था को फिलहाल जारी रखने का निर्णय किया गया।

9. बिन्दु संख्या- **6/9**- विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों हेतु संगोष्ठी/कार्यशाला आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश में संशोधन में प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों हेतु संगोष्ठी/कार्यशाला आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक **3029–33** दिनांक **03.04.2014** को संशोधित कर, निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया–

संशोधन पूर्व	संशोधनोपरान्त (निर्णय)
i. Rs. 15,000/- (maximum) will be given to the faculty members who will attend the conference/workshop/seminar and present his/her paper. They have to submit a copy of his/her paper presented in the conference/workshop/seminar.	**i.** Rs. 15,000/- maximum will be reimbursed, to the faculty members/University nominated person (only in case of permanent employee) for registration, T.A. and to attend the conference/workshop/ seminar and present his/her paper. They have to submit a copy of his/her paper presented in the conference/workshop/ seminar.
ii. Rs. 10,000/- (maximum) will be given to the faculty member to attend the conference/workshop/seminar. They will have to submit a detailed report.	**ii.** It may not be possible to approve this, however, if University nominates a faculty member or official for any conference/workshop/ seminar then registration fee and T.A. will be reimbursed within maximum limit of Rs. 10,000/-

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

10. बिन्दु संख्या- 6/10- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति-पत्र (**MOU**) का अवलोकन।

निर्णय - विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति-पत्र (**MOU**) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	संस्था/संगठन का नाम	सहमति-पत्र (MOU) हस्ताक्षर किये जाने की दिनांक
1.	National Law University, Jodhpur	14th August 2014
2.	Manipal University, Jaipur	07th January 2015
3.	Department of Women Empowerment, Govt. of Rajasthan	05th February 2015
4.	India Foundation, New Delhi	02nd March 2015
5.	Gateway House: Indian Council on Global Relations	09th April 2015

11. बिन्दु संख्या- 6/11- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रों में मानदेय के आधार पर की गई नियुक्तियों की सूचना।

निर्णय - विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रों में माननीय कुलपति महोदय द्वारा मानदेय के आधार पर की गई निम्नलिखितानुसार नियुक्तियों का, सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया-

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	पदनाम	मनोनीत सदस्य का नाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	**Centre for Correctional Studies**	निदेशक एवं प्रमुख (**Hon. Capacity**)	श्री अजीत सिंह, महानिदेशक, राजस्थान	**आदेश क्रमांक-1231 दिनांक 02.06.2015**
2.	**Centre for Peace and Conflict Studies**	कार्यकारी निदेशक (**Honorary**)	श्री एन.आर.के.रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान पुलिस	**आदेश क्रमांक-1234 दिनांक 02.06.2015**
		उप-निदेशक (**Honorary**)	श्री राजेश आर्य, महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस	**आदेश क्रमांक-1232 दिनांक 02.06.2015**
3.	**Centre for Disaster Management**	कार्यकारी निदेशक (**Honorary**)	श्री उमेश मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक **SRDF**, राजस्थान पुलिस	**आदेश क्रमांक-1233 दिनांक 02.06.2015**
4.	**Centre for Economic Crime and Counter Corruption Studies**	कार्यकारी निदेशक (**Honorary**)	श्री पी. के. सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक -क्राईम, राजस्थान पुलिस	**आदेश क्रमांक-1235 दिनांक 02.06.2015**

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

61/C

12. बिन्दु संख्या- 6/12- लेखा अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष **2013-14** के अंकेक्षित लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन।

निर्णय-विश्वविद्यालय के लेखा अंकेक्षक यथा उत्तम आबूवाला एण्ड कम्पनी, जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष **2013-14** के किये गये अंकेक्षित लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13. बिन्दु संख्या- 6/13- विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना।

निर्णय - प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक **11** सितम्बर **2014** के पश्चात्, विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाओं की प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सराहना की गई।

14. बिन्दु संख्या-6/14- विश्वविद्यालय के विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किये जाने की सूचना।

निर्णय- विश्वविद्यालय के विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किये जाने की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई-

S. N.	Name of Employee	Date of Joining	Probation period completed on (02 years)	Regular in Service
1.	Sh. Anuj Tyagi	06.05.13	05.05.15	06.05.2015
2.	Sh. Arun Sharma	17.05.13	16.05.15	17.05.2015
3.	Sh. Balveer Singh	18.05.13	17.05.15	18.05.2015

15. बिन्दु संख्या- 6/15- अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

निर्णय-प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये-

i. विश्वविद्यालय स्तर पर उप-निरीक्षक (**Sub Inspectors**) के पद पर कार्यरत कार्मिकों के लिए भी, एक पृथक् से पाठ्यक्रम तैयार करने की अनुशंसा व्यक्त की गई।

ii. वर्तमान में एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु, विश्वविद्यालय द्वारा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की ओर से पुलिस विभाग में नियुक्ति हेतु **10%** अंको की प्राथमिकता (**Weightage**) प्रदान करने के सम्बन्ध में गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र प्रेषित करने हेतु, निवेदन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

iii. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों को, छात्रों के कौशल-विकास (**Skill Development**) से जोड़े जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।